ईराक में ब्रिटिश संरक्षण

(Iraq)

आधुनिक ईराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। दजला और फरात नदियों की घाटियों में प्राचीन मेसोपोटामियाई सभ्यता का विकास इसी देश में हुआ था। इसके अतिरिक्त ईराक की महत्ता बसरा, बगदाद और मोसुल नगरों के कारण बढ़ गई थी। जिसका व्यापारिक महत्व प्राचीन काल में था और राजनीतिक महत्व आधुनिक काल में है।

19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक यह देश ओटोमन तुर्कों के अधीन रहा, व यहाँ सूबेदार शासन करते रहे। इन सूबेदारों को पाशा कहा जाता था। इन पाशाओं का काल ईराक के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। उन्होंने अनेक प्रकार के सुधार किए और यहाँ की जनता को शिक्षित बनाकर उनमें राष्ट्रीयता की भावना को जगाया।

ईराक पर ब्रिटिश आधिपत्य —

फारस की खाड़ी पर स्थित होने के कारण ब्रिटेन के लिए ईराक का विशेष महत्व था। इसलिए प्रथम विश्वयुद्ध के समय ही ब्रिटेन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के क्षेत्रों में उसके महत्वपूर्ण स्वार्थ हैं। इन स्वार्थों की रक्षा करना उसके लिए परम आवश्यक है। ईराक पर ब्रिटिश आक्रमण

PAGE
DATE

के पाँच कारण हैं —

(क) ब्रिटेन फारस की खाड़ी और दजला तथा फरात घाटियों में अपना साम्राज्यवादी जाल फैलाना चाहता था। सामरिक महत्व की इन घाटियों में उसकी स्थिति कायम होने पर ही वह अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को प्रभावित कर सकता था।

(ख) ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य की रक्षा करना चाहता था।

(ग) ब्रिटेन भी अमेरिका की तरह इन अरब राष्ट्रों से तेल का व्यापार करना चाहता था।

(घ) जर्मनी के पनडुब्बी जहाजों से बचने के लिए ईराक के बसरा हवाई अड्डों को अपने अधिकार में रख।

(ङ) पूर्वी देशों तथा हिन्दुस्तान में अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना।

उपर्युक्त कारणों से प्रथम विश्व-युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटेन ने ब्रिटिश भारत से एक बहुत बड़ी सेना मेसोपोटामिया भेजकर उसपर अधिकार कर लिया।

ईराक में ब्रिटिश मैंडेट (British Mandate in Iraq)

प्रथम विश्व-युद्ध में तुर्की साम्राज्य का पतन हो गया और उसके साथ मित्रराष्ट्रों ने सेव्रे की संधि (Treaty of Sevres) कर ली। फारस देशों में अपने साम्राज्यवाद का विकास करने के लिए मित्र-राष्ट्रों को सुनहला मौका मिला। ब्रिटेन का ईराक

पर और फ्रांस का सीरिया पर मैंडेटरी शासन शुरू हुआ। यह कहा गया कि ये अरब राज्य अब राष्ट्रसंघ के नियंत्रण में रहेंगे क्योंकि तुर्की साम्राज्य का पतन हो गया है। लेकिन ये राज्य अभी नये हैं और शासन कला में अनाड़ी हैं इसलिए इनपर कुछ काल के लिए मित्र-राष्ट्रों का मैंडेटरी शासन रहेगा। इस सिलसिले में फ्रांस और ब्रिटेन ने बगदाद में एक समझौता भी किया था जिसकी घोषणा 8 मई, 1918 में की गई।

इराक में ब्रिटिश 1919 मैंडेट शासन की घोषणा होते ही वहाँ के देशभक्त विद्रोह करने पर उतारू हो गए। यूफ्रेटस से लेकर बकुबा (Baquba) और दियाला (Diyala) से लेकर किफ्री तक (Kifri) तक विद्रोहाग्नि सुलग गई। अत: ब्रिटिश सरकार पहले शांति-व्यवस्था कायम करने में लग गई। विद्रोह दमन के लिए ब्रिटिश और भारतीय सैनिक इराक पहुँचे। मैंडेटरी शासन संचालन के लिए पर्सी कौक्स (Percy Cox) को इराक का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था। बड़ी कठिनाई से उन्होंने विद्रोह का दमन किया।

इराक में पूर्ण शांति कायम होने के बाद पर्सी कौक्स ने इराक के राष्ट्रवादियों को मनोवृत्ति समझाने की चेष्टा की।

उसने इराक में एक राज्य परिषद (Council of States) का निर्माण

किया जिसके अध्यक्ष बगदाद के नकीब अब्दुर्रहमान अल गैलानी बनाए गए। इस परिषद में सभी वर्गों और सम्प्रदायों के प्रतिनिधि लिए गए। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि यह परिषद इराक में शासन को सुव्यवस्थित करेगी और वहाँ स्थायी शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए भविष्य में प्रयास करेगी। 1921 में ही इराक के शासन-संचालन का कार्य ब्रिटिश भारतीय सरकार के हाथ से लेकर ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश विभाग के हाथ में सौंप दिया गया।

इराक के राष्ट्रवादी ब्रिटिश मैंडेटरी शासन से संतुष्ट नहीं थे वे वहाँ एक विशुद्ध अरब सरकार बनाना चाहते थे अतः उन्होंने शरीफ हुसैन के पुत्र फैजल को इराक का राजा बनाने की घोषणा की। ब्रिटिश उपनिवेश मंत्री विंस्टन चर्चिल ने 12 मार्च, 1921 में कैरो में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें ब्रिटेन तथा मध्यपूर्व के देशों के सैनिक तथा अन्य राजनीतिक व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन में फैजल को इराक के राजा बनाने की घोषणा की गई।

फैजल के राज्याभिषेक इराक के इतिहास में एक नए अध्याय का सृजन करता है क्योंकि इस समय इराक की अनेक समस्याएं थीं जिन्हें फैजल के द्वारा सुलझाया जाना।

(1) मेसोपोटामिया की बिखरी जातियों का संगठन कर एक राष्ट्र के रूप में

परिवर्तित करना था और इसकी स्थिति को ऊँचा उठाना था।

(9) देश में शांति-सुव्यवस्था स्थापित करनी थी एवं ब्रिटेन के साथ अपने संबंध निर्धारित करने थे। फैजल के समय ईराक के शासन का स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया गया —

(i) ईराक के शासन का अधिपति राजा बनाया गया, पर कोई भी कार्य करने के पूर्व इसके लिए आवश्यक था कि वह ईराक के हाई कमिश्नर से परामर्श ले।

(ii) ईराक की शासन-संबंधी उच्च पदों पर अनेक अंग्रेज अफसर नियुक्त किए गए। पुलिस अफसर, नियुक्ति अफसर आदि अंग्रेज ही होते थे।

(iii) एक राष्ट्रीय सभा (National Assembly) का गठन किया गया जिसमें केवल एक सौ सदस्य थे। ईराक की शासन-नीति का परिचालन करने का अधिकार उसे ही दिया गया।

(iv) राजा को शासन-कार्य में सहायता देने के लिए एक मंत्रि-परिषद का निर्माण किया गया। इसके सदस्य ईराक की जनता से ही लिए गए। इसमें अंग्रेज प्रतिनिधि नहीं थे।

(v) यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि ईराक की वैदेशिक और आर्थिक नीति ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रभावित होगी और इन दो विभागों पर

ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा।

vi) प्रांतीय शासन के लिए अंग्रेज सलाहकार थे जो ईरानी पदाधिकारियों की मदद करते थे। जिला स्तर के अंग्रेज सलाहकार ब्रिटिश सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखते थे।

vii) ईरानी जनसंख्या की अधिकांश जातियों के शासन के लिए सैंडमेन (Sandeman) पद्धति को लागू किया गया। इसके अनुसार विभिन्न जातियों पर नियंत्रण उनके पैतृक सरदारों द्वारा रखा जाता था। ये विभिन्न जातियों के सरदार या शेख अंग्रेजों के राजभक्त बन गए। शासन के उपर्युक्त स्वरूप ने ईरानियों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर कुठाराघात किया। वहाँ असंतोष का वातावरण पुनः छा गया। ब्रिटिश सरकार ने ईरानी असंतोष को दूर करने की संधियों का सहारा लिया।

1922 की संधि — 10 अक्टूबर 1922 को आंग्ल-ईरानी संधि की गई। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिला कि वह (i) ईरानी शासन में अपने परामर्शदाताओं की नियुक्ति करे।
(ii) ईरानी सेना की मदद करें
(iii) विदेशियों की सुरक्षा करें
(iv) वित्तीय मामले में परामर्श दे एवं
(v) वैदेशिक मामलों में परामर्श दे।

PAGE
DATE

यह संधि पहले बीस वर्ष की लिए की गई थी पर बाद में इसकी अवधि चार साल के लिए कर दी गई। यह संधि बिल्कुल एक पक्षीय थी और इसके द्वारा ब्रिटेन का प्रभाव ईराक पर और भी बढ़ाया गया। ईराक के लिए यह संधि कड़वी सिद्ध हुई। शासन के उच्च पदों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया कि

किन्तु ईराकी राष्ट्रवादियों को यह संधि पसंद नहीं थी और उन्होंने आंदोलनों ने इसकी शर्तों के विरुद्ध आंदोलन चलाया।

1926 की संधि —

ईराक के लोग पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे लेकिन ब्रिटेन अभी पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में न था। अतः 13 जनवरी 1926 को ईराक के साथ दूसरी संधि की। यह संधि 25 वर्ष के लिए की गई थी। इसे 18 Jan 1926 को ईराक की संविधान सभा ने अनुसमर्थन किया।

1927 की संधि —

14 दिसम्बर 1927 को ईराक से तीसरी संधि की। इसमें कहा गया कि सामान्य स्थिति में 1932 में ईराक को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना दिया जाएगा। वित्तीय और सैनिक क्षेत्रों में ब्रिटिश नियंत्रण कम किया गया।

1927 की संधि से इराकी खुश नहीं थे। उन्होंने इस संधि को ठुकरा दिया।

1930 की संधि —

स्थायी ब्रिटिश उच्चायुक्त सर फ्रांसिस हम्फ्री और इराकी परराष्ट्रमंत्री नूरी सईद पाशा में 30 जून, 1930 को संधि हुई। यह संधि पच्चीस वर्ष के लिए की गई। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि 1932 में वह ईराक को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना देगा तथा ऐसी कथि ईराक में ब्रिटिश शासन का अन्त हो जाएगा। इस संधि में निम्नलिखित उपबन्ध थे —

1. विदेश-नीति — इसमें यह कहा गया कि वैदेशिक नीति के संचालन में दोनों देश अपने-अपने देश से संबंधित बातों पर एक दूसरे से परामर्श लेंगे और कोई भी ऐसी नीति का परिचालन नहीं करेंगे जिससे वे किसी कठिनाई में पड़े।

2. प्रतिरक्षा —

युद्ध की स्थिति में ब्रिटेन ने ईराक की रक्षा करने का वचन दिया। ऐसी स्थिति में ईराक ब्रिटेन को अपने प्रदेश में वे सारी सुविधाएँ सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे वह रेलवे, नदियों, बन्दरगाहों, हवाई पट्टियों तथा आवागमन के साधनों का उपयोग कर सके।

PAGE
DATE

परम्परागत का अधिकार —

ईराक ब्रिटेन को बसरा और फरात नदी के पश्चिम जंगली अड्डे बनाने के लिए स्थान देगे पर वो ब्रिटेन इन स्थानों में सेना रख सकता था। इसे ईराकी तौर से होकर सेना भेजने का अधिकार भी मिला।

करों से उन्मुक्त का अधिकार —

यह भी तय किया गया कि ईराक में ब्रिटिश सेना स्थानीय क्षेत्राधिकार और करों से उन्मुक्त रहेगी।

ईराकी सेना का प्रशिक्षण —

यदि ईराकी अपनी सेना के प्रशिक्षण के लिए विदेशों से प्रशिक्षकों को बुलाता है या सैनिक अस्त्र-शस्त्र खरीदता है तो इससे ब्रिटेन का अनन्य अधिकार होगा।

राजनय प्रतिनिधित्व —

ईराक में ब्रिटिश उच्चायुक्त की जगह राजदूत रहेगा जिसे अन्य राजनय प्रतिनिधियों की अपेक्षा स्थायी तौर से अधिक वरीयता प्राप्त होगी।

राष्ट्रसंघ की सदस्यता —

अंतिम अनुच्छेद में यह कहा गया कि ब्रिटेन जल्द से-जल्द ईराक को राष्ट्रसंघ का

सदस्य बना देगा। इस संधि से ब्रिटेन और ईराक के संबंध अच्छे हो गए।

राष्ट्रसंघ की सदस्यता —

3 अक्टूबर 1932

को ईराक राष्ट्रसंघ का सदस्य बना दिया गया।
राष्ट्रसंघ से ईराक ने यह वादा किया कि वह ईराक में बसने वाली अल्पसंख्यक जातियों की, जिनमें कुर्द जाति भी शामिल थी, रक्षा करेगा, ईराक में रहने वाले विदेशियों के अधिकारों का किसी प्रकार हनन नहीं करेगा, मानवीय अधिकारों का आदर करेगा और संरक्षणात्मक देशों के साथ की गई संधियों को अपनी दृष्टि में रखेगा।
इसी समय से ईराक में ब्रिटिश संरक्षण-शासन समाप्त हो गया। ईराक स्वतंत्र हो गया।